

भारत सरकार
पर्यावरण वनऔर जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
वन संरक्षण प्रभाग

इन्दिरा पर्यावरण भवन
जोरबाग रोड, अलीगंज,
नई दिल्ली-110003
दिनांक: 3 नवंबर, 2022

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन)
छत्तीसगढ़ सरकार
नवा रायपुर।

Sub: Diversion of remaining 101.25 ha of forest land (originally applied area for 192.25 out of which 91.0 ha 'in-principle' approved) in favour of M/s Jayaswal Neco Industries Limited for mining of iron ore located in village Chhote Donger, District Narayanpur, State Chhattisgarh - reg.

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपरोक्त विषय से संदर्भित अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्रमांक – F/5-4/2019/10-02 दिनांक 23.09.2022 की ओर दिलाने का निर्देश हुआ है जिसके माध्यम से राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 192.25 हेक्टेयर वन भूमि में से शेष 101.25 हेक्टेयर वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु दिए गए आवेदन को संलग्न करते हुए भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम की धारा -2 के तहत पूर्वानुमोदन का आग्रह किया है।

उपरोक्त के संबंध में यह विदित है कि इस प्रस्ताव में राज्य सरकार द्वारा शुरू में 192.25 हेक्टेयर वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और जिसमें से सैद्धांतिक स्वीकृति केवल 91.00 हेक्टेयर के लिए दिनांक 11.08.2004 दी गई थी। जिसमें इस बात का भी उल्लेख किया गया था कि शेष क्षेत्र पर बाद में विचार किया जाएगा।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 11.08.2004 को प्रदान की गई सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालना में केवल 35.74 हेक्टेयर के लिए अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। उक्त अनुपालन पर मंत्रालय द्वारा विचार करणबे के उपरांत दिनांक 18.01.2007 को 35.74 हेक्टेयर वन भूमि के लिए अंतिम स्वीकृति प्रदान की गई।

दिनांक 28.10.2021 को सम्पन्न हुई एफएसी की बैठक में शेष 55.26 हेक्टेयर (91 हेक्टेयर में से शेष) वन भूमि के लिए अंतिम स्वीकृति व शेष 101.25 हेक्टेयर वन भूमि के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति का प्रस्ताव विचार विमर्श हेतु रखा गया। FAC द्वारा 55.260 हेक्टेयर वन भूमि प्रस्ताव पर अंतिम स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु सिफारिश की व दिनांक 01.02.2021 को मंत्रालय द्वारा 55.260 हेक्टेयर वन भूमि के लिए अंतिम स्वीकृति प्रदान की गई। शेष क्षेत्र (101.25 हेक्टेयर) के लिए एफएसी ने सिफारिश की कि

इस पर बाद में योग्यता के आधार पर विचार किया जाएगा। सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 11.08.2004 से भी यह स्पष्ट है कि मंत्रालय द्वारा इस मामले में अनुमोदनों पर चरणबद्ध तरीके से विचार किया जाएगा। इसके अलावा, विचाराधीन क्षेत्र उच्च संरक्षण मूल्य क्षेत्र है जिसकी पुष्टि डीएसएस विश्लेषण द्वारा भी की जाती है।

उपरोक्त को मध्यनजर रखते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी के अनुरोध को अग्रपिंत किया गया है परंतु कोई विशेष कारण या स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि शेष क्षेत्र (101.25 हेक्टेयर) पर क्यों विचार किया जाना चाहिए। अतः राज्य सरकार से यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है, कि क्या दिनांक 28.10.2021 को प्रस्ताव FAC के सम्मुख को रखे जाने के बाद जमीनी स्थिति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, या क्या कोई विशिष्ट कारण या औचित्य है कि 91.00 हेक्टेयर क्षेत्र में खनन कार्यो को पूरा करने से पहले 101.26 हेक्टेयर क्षेत्र का उपयोग करने की आवश्यकता है। अतः मामले की उचित जांच कर अपनी टिप्पणि प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

भवदीय

ह 0

(सुनीत भारद्वाज)

सहायक वन महानिरक्षक

प्रति:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), वन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार, रायपुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, नया रायपुर में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय- से अनुरोध है कि इस मामले में वह अपनी टिप्पणि प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
3. अतिरिक्त PCCF और नोडल अधिकारी (FCA), वन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार, रायपुर।
4. उपयोगकर्ता एजेंसी।
5. एफसी प्रभाग का निगरानी प्रकोष्ठ।